भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2759

04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- खरीफ फसलों पर कम वर्षा का प्रभाव

2759. श्री आनंद भदौरियाः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के अनेक भागों में बनी गंभीर सूखे जैसी स्थिति की जानकारी है;

(ख) चालू मौसम के दौरान वर्षा की कमी तथा मानसून के विलंब से धान, मक्का, कपास तथा दलहन जैसी खरीफ फसलों की बुआई पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) सामान्य क्षेत्र की तुलना में अब तक बुआई किए गए क्षेत्र की राज्य-वार स्थिति का ब्यौरा क्या है तथा प्रभावित किसानों को सूखा राहत, सिंचाई सहायता एवं बीज उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) फसल के नुकसान को कम करने तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कौन-सी आकस्मिक कार्ययोजनाएं तथा वित्तीय सहायता प्रस्तावित हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): सभी राज्यों में राज्य और जिलावार वर्षा की जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की वेबसाइट https://mausam.imd.gov.in/ पर उपलब्ध है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों में 01.06.2026 से 29.07.2026 तक हुई कुल वर्षा का विवरण निम्नलिखित है:

राज्य	**कुल वर्षा (01.06.2026 से 29.07.2026 तक)**		
	वास्तविक आरएफ (मिमी में)	**सामान्य आरएफ (मिमी में)**	**सामान्य से विचलन का प्रतिशत**
पंजाब	136.4	204.5	-33
हरियाणा	144.7	195.2	-26
राजस्थान	173.8	206.3	-16
उत्तर प्रदेश	260	342.8	-24
हिमाचल प्रदेश	324	339.7	-5

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के विभिन्न संस्थानों, आईसीएआर- केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी),

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), उर्वरक विभाग (डीओएफ) और राज्य सरकारों के साथ मिलकर, मानसून की बदलती स्थिति और कृषि पर अल नीनो की संभावित स्थिति के प्रभाव की लगातार निगरानी कर रहा है।

खरीफ 2026-27 की बुआई का कार्य अभी भी जारी है, और 2026-27 कृषि वर्ष (जुलाई-जून) में सभी प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान अभी तक जारी नहीं किए गए हैं।खरीफ फसलों के अंतर्गत दिनांक 13.07.2026 तक राज्यवार बोए गए क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र का विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की समान अवधि में बुई मात्र 5% कम है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को जिला स्तर पर फसल और किस्मों के चयन के लिए पूर्व-मौसम योजना, राष्ट्रीय बीज रिजर्व (एनएसआर) फ्रेमवर्क के तहत जल्दी पकने वाली और कम अवधि वाली किस्मों के राज्य स्तरीय बीज भंडार, मानसून शुरू होने से पहले आकस्मिक बीज भंडार को सक्रिय करने और मांग के चरम पर बीज की गुणवत्ता और मात्रा की निगरानी के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।

आईसीएआर-सीआरआईडीए और राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से 342 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिक योजनाओं को अद्यतित किया है। इन योजनाओं में मानसून की देरी से शुरुआत के लिए फसल रणनीतियों के साथ-साथ मध्य-मौसम और टर्मिनल सूखे की स्थितियों से निपटने के लिए आकस्मिक उपाय भी शामिल हैं।

इसके अलावा, आईसीएआर ने केवीके के लिए इन आकस्मिक योजनाओं को लागू करने हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) विकसित की हैं। इन एसओपी में आवश्यकता आधारित आकस्मिक योजनाओं का विकास, कार्यान्वयन प्रक्रियाएं, कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय, जिले के लिए रियल टाइम में कृषि संबंधी सलाह जारी करना, क्षमता विकास, जागरूकता सृजन और रियल टाइम फीडबैक शामिल हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं के मद्देनजर जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध निधियों से प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत उपाय करती हैं। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में एसडीआरएफ के अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है। जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित मूल्यांकन और एनडीआरएफ से वित्तीय सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, न कि हुए/दावे किए गए नुकसान के मुआवजे के लिए। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ का राज्यवार आवंटन https://ndmindia.mha.gov.in/ पर उपलब्ध है।

अनुबंध

दिनांक 13.07.2026 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत साप्ताहिक क्षेत्रफल कवरेज की राज्यवार प्रगति (क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में)					
क्र.सं.	राज्य	सामान्य अवधि (2020-21 से 2024-25) (जून-सितंबर)	बोया गया क्षेत्र		वर्ष 2025-26 के दौरान वृद्धि(+)/कमी(-)
			2026 (दिनांक 13.07.2026 तक)	2025 (संबंधित सप्ताह के अनुसार)	
1	आंध्र प्रदेश	31.13	11.41	9.72	1.69
2	असम	21.51	12.83	7.81	5.02
3	बिहार	35.63	23.15	17.25	5.90
4	छत्तीसगढ	42.45	33.49	33.72	-0.23
5	गुजरात	73.97	46.64	52.95	-6.31
6	हरियाणा	27.64	22.79	24.85	-2.06
7	हिमाचल प्रदेश	3.53	3.11	3.35	-0.24
8	झारखंड	19.67	6.62	4.83	1.79
9	जम्मू और कश्मीर	5.90	4.13	4.46	-0.33
10	कर्नाटक	78.96	43.23	56.64	-13.41
11	मध्य प्रदेश	138.48	124.18	129.12	-4.94
12	महाराष्ट्र	157.49	126.39	142.09	-15.70
13	ओडिशा	44.88	14.21	17.42	-3.21
14	पंजाब	35.04	34.11	34.72	-0.61
15	राजस्थान	130.75	100.55	116.01	-15.46
16	तमिलनाडु	24.12	4.41	5.20	-0.79
17	तेलंगाना	50.90	27.00	26.50	0.50
18	उत्तर प्रदेश	117.83	121.40	111.30	10.10
19	उत्तराखंड	4.68	4.70	4.54	0.16
20	पश्चिम बंगाल	48.28	15.41	16.31	-0.90
कुल (20 प्रमुख राज्य)		1092.84	779.76	818.79	-39.03
अन्य राज्य		11.61	7.61	7.40	0.21
अखिल भारत		**1104.45**	**787.37**	**826.19**	**-38.82**
